XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

विविध वाद संख्या–88 / 2011

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी) अन्तर्गत

1. श्री राजेन्द्र लकड़ा, पिता–स्व0 शुक लाल उरांव
2. श्री योगेन्द्र लकड़, पिता–स्व0 शुक लाल उरांव
3. श्री रविन्द्र लकड़ा, पिता–स्व0 शुक लाल उरांव
4. ~~श्री रिशु उरांव, पिता–स्व0 कार्तिक उरांव~~

सभी का साकिन–बाधमारा (झील टोला), थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ.....आवेदकगण

आदेश

यह विविध अनुमति वाद बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत आवेदकगण द्वारा अपनी पुत्री तथा भतिजी की शादी करने हेतु मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता नं0–4, चक खाता नं0–10, खेसरा नं0–383, चक खेसरा नं0–215, रकवा–0.52 डिसमिल जमीन बिक्री करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता नं0–4, चक खाता नं0–10, खेसरा नं0–383, चक खेसरा नं0–215, रकवा–0.69 डिसमिल एवं खाता नं0–96, खेसरा नं0–234, 235, 240 एवं 241 से कुल रकवा–0.84 डिसमिल जमीन के अलावे भी अन्य जमीन आवेदकगण को प्राप्त है, जिसका लगान रसीद कटाता आ रहा है। बिक्री के पश्चात भी शेष जमीन बच जाता है। आवेदक अपनी पुत्री एवं भतिजी की शादी करने हेतु बिक्री करने की अनुमति चाहते है। जमीन बिक्री करने के अलावे कोई अन्य साधन नहीं है।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, के0 नगर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, के0 नगर ने अपने पत्रांक 826, दिनांक 12.08.2011 के द्वारा प्रतिवेदित किये है कि आवेदकगण श्री राजेन्द्र लकड़ा वो श्री योगेन्द्र लकड़ा वो श्री रविन्द्र लकड़ा साकिन–बाधमारा के नाम से मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता नं0–96, खेसरा नं0–234, रकवा–0.48 डिसमिल, खेसरा नं0–241, रकवा–0.03 डिसमिल, खेसरा नं0–240, रकवा–0.04 डिसमिल, खेसरा नं0–383, रकवा–0.69 डिसमिल दोनों खाताओं से कुल रकवा 1.53 एकड़ जमीन है, जो जमाबन्दी संख्या–348, भोलूम–B एवं 1055 पर पंजी–II दर्ज है।

2. आवेदकगण द्वारा बिक्री की जानेवाली जमीन मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता नं0–4, खेसरा नं0–383, रकवा–0.52 डिसमिल जमीन है। लगान वर्ष 2011–12 तक भुगतान है।

3. आवेदकगण के पास बिक्री के पश्चात मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता नं0–96, खेसरा नं0–234, रकवा–0.48, खेसरा नं0–235, रकवा–0.03, खेसरा नं0–240, रकवा–0.04 डिसमिल, खेसरा नं0–241, रकवा–0.29, खाता नं0–4, खेसरा नं0–383, रकवा–0.17 डिसमिल कुल 1.01 एकड़ जमीन बचता है। लगान वर्ष 2011–12 तक भुगतान है।

4. आवेदकगण अपनी पुत्री के विवाह हेतु एवं स्थानीय लोगों के ऋण चुकता करने हेतु जमीन बिक्री करना चाहते है।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में की तारीख सहित
1	2	3

5. प्रश्नगत जमीन बिक्री के पश्चात आवेदकगण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते है।
6. प्रश्नगत जमीन भूदान, भूहदबन्दी एवं बिहार सरकार से मुक्त हैं।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदकगण को अपनी पुत्री एवं भतिजी की शादी करने एवं ऋण चुकाने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ